महत्वपूर्ण / बजट 2017-2018

संख्या: 4/2017/बी-1-414/दस-2017-12(2)/2017

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनाँक: 23 मार्च, 2017**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट अनुमानों को तैयार किया जाना ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये प्रस्तुत अंतरिम बजट, जिसमें वचनबद्ध व्यय एवं चालू योजनाओं के लिये प्रावधान है, के आधार पर प्रथम पाँच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) का लेखानुदान लिया गया है तथा वर्ष 2017-2018 के अन्तरिम बजट का अनुदानवार / मदवार विस्तृत विवरण सभी विभागों को उपलब्ध कराया जा चुका है । वर्ष 2017-2018 का अनुदानवार विस्तृत विवरण वित्त विभाग की वेब साइट budget.up.nic.in पर भी उपलब्ध है जिसका प्रिन्ट लिया जा सकता है ।

2- वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट अनुमानों को तैयार करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-11/2016/बी-1-2818/दस-2016-12(2)/2017 दिनाँक 03 अक्टूबर, 2016 द्वारा जारी किये गये थे, जिसमें दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट अनुमानों को तैयार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है -

(1) <u>विभागीय बजट अनुमानों को तैयार करने में नई सरकार की प्राथमिकताओं एवं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर कार्यवाही की जाय । इससे जहाँ एक ओर पूर्व प्रेषित अनुमानों में संशोधन किये जाने होंगे वहीं 'व्यय की नई मदों' के प्रस्ताव बजट में तदनुसार सम्मिलित किये जाने होंगे । अतः इस सम्बन्ध में आवश्यकता का सही आंकलन कर सक्षम स्तर (माननीय विभागीय मंत्री / माननीय मुख्य मंत्री) का अनुमोदन प्राप्त कर बजट प्रस्ताव तैयार किये जायं ।</u>

(2) केन्द्र सरकार का वित्तीय वर्ष 2017-2018 का बजट प्रस्तुत हो चुका है, जिसमें केन्द्र पोषित योजनाओं में किया गया सम्पूर्ण बजट प्रावधान ज्ञात है, जिसके अनुसार केन्द्रीय योजनाओं में राज्य सरकार को केन्द्राँश का आवंटन प्राप्त होगा ।

अतः सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग शीघ्रता से केन्द्र सरकार में अपने विभाग में संचालित केन्द्रीय योजनाओं के केन्द्राँश की जानकारी प्राप्त कर लें और तदनुसार केन्द्रीय योजनाओं हेतु बजट प्रावधान (केन्द्राँश एवं राज्याँश), अपने विभागीय अनुदान, अनुसूचित जाति सब प्लान के लिये अनुदान संख्या-83 एवं ट्राइबल सब प्लान के लिये अनुदान संख्या-81 में कराया जाना सुनिश्चित करें ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) ऐसी केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिये बजट प्रावधान न कराया जाय, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया हो अथवा योजना की धनराशि राज्य के बजट के माध्यम से न दी जा रही हो ।

(4) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा (4) की उपधारा (3) के खण्ड (छ) के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा वार्षिक आय-व्ययक प्रावधान में पूँजीगत कार्यों हेतु आय-व्ययक प्रावधान के 70 प्रतिशत से अन्यून धनराशि चालू पूँजीगत कार्यों हेतु तथा 30 प्रतिशत से अनधिक धनराशि की व्यवस्था नये पूँजीगत कार्यों हेतु सुनिश्चित की जायेगी ।

अतः विभागों द्वारा पूँजीगत कार्यों (Capital Works) हेतु आय-व्ययक प्रावधान का कम से कम 70 प्रतिशत धनराशि चालू पूँजीगत कार्यों हेतु तथा अधिकतम 30 प्रतिशत धनराशि नये पूँजीगत कार्यों हेतु व्यवस्था करायी जाये ।

(5) <u>प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-2017 में योजनाओं / परियोजनाओं (केन्द्र पोषित / राज्य पोषित) के लिये अपने सामान्य अनुदान एवं अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति सब प्लान) एवं 81 (ट्राइबल सब प्लान) में जिस सीमा तक बजट प्रावधान कराया गया है, उस सीमा के अन्तर्गत सरकार की प्राथमिकताओं एवं प्रतिबद्धताओं के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये बजट प्रस्ताव प्रेषित किये जायें ।</u>

(6) समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-1425/क0नि0प्र0/26-3-2013-13(21)/2013, दिनाँक 10 अक्टूबर, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनाओं (केन्द्र पोषित / राज्य पोषित) हेतु प्रस्तावित कुल बजट प्रावधान का 21.21 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति सब प्लान व ट्राइबल सब प्लान हेतु क्रमशः अनुदान संख्या-83 एवं 81 में कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) वित्तीय वर्ष 2017-2018 से आय-व्ययक में आयोजनागत एवं आयोजनेतर का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है । अतः वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट अनुमान तदनुसार राजस्व, पूँजीगत पक्ष में वर्गीकृत कर वित्त विभाग को प्रेषित किये जायें ।

(8) वित्तीय वर्ष 2017-2018 से आय-व्ययक अनुमानों को 'हजार रुपयों' के स्थान पर 'लाख रुपयों' में (दशमलव के दो अंकों तक) प्रदर्शित किया जाना है । अतः वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक अनुमान 'लाख रुपयों' में (दशमलव के दो अंकों तक) प्रेषित किये जायें ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया सरकार की प्राथमिकताओं एवं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर बजट में सम्मिलित किये जाने वाले अपने सभी प्रस्ताव सक्षम स्तर (माननीय विभागीय मंत्री / माननीय मुख्य मंत्री) का अनुमोदन प्राप्त कर दिनाँक 30 अप्रैल, 2017 तक अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 4/2017/बी-1-414(1)/दस-2017-12(2)/2017, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
6 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
8 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ ।
9 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।
13 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।